राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 8(3)एमई / ग्रुप–1 / 2018 पार्ट जयपुर, दिनांक : 11/1/22

आदेश

डॉ. लक्ष्मण सिंह चारण, सहायक आचार्य, शिशु औषध, मेडिकल कॉलेज, अजमेर को उनके द्वारा प्रस्तुत एक बारगी विकल्प के आधार पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 10.03.2021 के तहत सहवन से उनके द्वारा धारित FNB शैक्षणिक योग्यता को DM/Mch/DNB के समकक्ष मानते हुए सहायक आचार्य, शिशु गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी विशिष्ठता विस्थापित किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये थे।

शिशु गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी सुपर स्पेशिलिटी विषय है तथा NMC की अधिसूचना दिनांक 12.02.2020 के अनुसार सुपर स्पेशिलिटी हेतु संबंधित विशिष्ठता में DM/Mch/DNB योग्यता ही मान्य है एवं अधिसूचना दिनांक 03.08.2016 के अनुसार Fellowship को Teaching Faculty के योग्य नहीं माना गया है।

अतः डॉ लक्ष्मण सिंह चारण द्वारा शिशु गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी के पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करने के कारण विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.03.2021 के द्वारा डॉ. चारण का सहायक आचार्य, शिशु औषध विशिष्ठता से सहायक आचार्य, शिशु गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी विशिष्ठता में किया गया विस्थापन निरस्त कर उनका नाम आदेश दिनांक 30.03.2021 में से एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

विस्थापन आदेश दिनांक 30.03.2021 का शेष विवरण यथावत रहेगा।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सोनी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज।
6. रक्षित पत्रावली।

11/1/22
उप शासन सचिव